

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 575]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 19, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-67-2014-1-पांच (61).—यतः, राज्य शासन यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन तत्काल किए जाएं; अतएव, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (एक) नियम 3 में, शब्द “रुपए दो हजार” के स्थान पर, शब्द “रुपए तीन हजार” स्थापित किए जाएं;
- (दो) प्ररूप बाईस में, भाग ग में, मद 1 के सामने, अंक “2000” के स्थान पर, अंक “3000” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) प्ररूप अट्ठाईस में भाग “क” में, मद 2 में, उप-मद (एक) के सामने, अंक “2000” के स्थान पर अंक, “3000” स्थापित किए जाएं;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-67-2014-1-पांच (61).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-67-2014-1-पांच (61), दिनांक 10 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 10th December 2014

No. F-A-3-67-2014-1-V-(61).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Niyam, 2011, should be made at once;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Niyam, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (i) in rule 3, for the words “rupees two thousand”, the words “rupees three thousand” shall be substituted;
- (ii) in Form XXII, in Part C, against item 1, for the figure “2000”, the figure “3000” shall be substituted;
- (iii) in Form XXVIII, in Part A, in item 2, against sub-item (i) for the figure “2000”, the figure “3000” shall be substituted;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.